न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 99 / 2020

एस.एस.रानावत, निवासी माँ भवन,हनुमान कॉलोनी,शास्त्री नगर,भीलवाडा (राज0) ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 04.01.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट एस.एस. रानावत, निवासी माँ भवन,हनुमान कॉलोनी,शास्त्री नगर, भीलवाडा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2020 लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी एवं न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी । प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 838 दिनांक 21.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध मे प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 37239 दिनांक 30.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील मे कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐ प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नही [illegible] हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, [illegible] उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पत्र कमांक 37239 दिनांक 30.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव की ताईद में पत्र कमांक 1854 दिनांक 21.12.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested